



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70
ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in



दिनांक:/02/2025

सेवा मे,

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
- अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
- प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लाट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
- आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
- निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
- उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।


विषय: दिनांक 07/02/2025 को पूर्वाहन 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 07/02/2025 को पूर्वाहन 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।


संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,


(किरण मोहन मोहांडीकर)
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

- विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
- वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
- विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
- सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
- कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
- उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
- कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


सूचनार्थ
उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 07/02/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 07/02/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल राय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती हेमलता हेदाऊ, सहायक डीजीएफटी, अपर विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
5. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
6. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 28/01/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 28/01/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 28/01/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुरेन्द्र मलिक

(2) अर्दिति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

2.1. बैठक में इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि कंपनी के निदेशक से एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें स्टेशन से बाहर यात्रा करने के कारण किसी भी हाइब्रिड मोड में बैठक में भाग लेने में असमर्थता के मद्देनजर प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।

2.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को स्थगित कर दिया तथा इकाई से निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया:-

- i. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 53(ए) के उप-नियम (ए) के तहत अग्रिम लाइसेंस और उप-नियम (जी) और (जे) के तहत की गई आपूर्ति का विवरण, जिसमें यह विवरण दिया गया हो कि ये आपूर्तियां किसे की गई हैं।
- ii. सीए फर्म की टिप्पणियों के अनुसार वित वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लिए संशोधित एपीआर।

(2) एडवांस नैनोमेड्स - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1. इकाई के भागीदार श्री सुनील अग्रवाल वर्चुअली मीटिंग में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में बल्क सप्लीमेंट्स.कॉम से निर्यात ऑर्डर मिला है। उन्होंने आगे बताया कि यदि एलओए का नवीनीकरण हो जाता है, तो वे मार्च, 2025 से निर्यात फिर से शुरू कर देंगे।

3.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने वित वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है और इन वर्षों के दौरान नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) था। हालांकि संचयी रूप से निवल विदेशी मुद्रा (NFE) 2023-24 तक सकारात्मक था। समिति ने चालू ब्लॉक के दौरान 31.03.2024 तक इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) की कमाई पर ध्यान दिया। समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 31.03.2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं थी।

3.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एडवांस नैनोमेड्स के एलओए की वैधता को मौजूदा स्वीकृत अधिकृत संचालन के लिए एक वर्ष की छोटी अवधि यानी 04/11/2025 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। यह इकाई से आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के अधीन है, जिसमें अद्यतन आईटीसीएचएस कोड शामिल हैं।

(4) ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड- एलओए में अतिरिक्त प्राधिकृत परिचालनों को शामिल करना और निष्पादन की निगरानी करना।

4.1. प्लांट हेड मोहम्मद दिलशाद अंसारी और इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजीव श्रीवास्तव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने चालू ब्लॉक 2020-21 (20.03.2021 से 31.03.2021), 2021-22 से 2023-24 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है और चालू ब्लॉक अवधि (20/03/2021 से 19/03/2026)

सूरेंद्र मौलिक

के दौरान 31/03/2024 तक 52.18 लाख रुपये का नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अर्जित किया है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी औद्योगिक लाइसेंस संख्या डीआईएल(ए):19(2024) दिनांक 16/12/2024 और गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी लाइसेंस संख्या एम/न्यू/0179/एमएचए/2024 दिनांक 21/01/2025 के अनुसार कार्यसूची में उल्लिखित एलओए में अतिरिक्त प्रस्तावित अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। यह सैद्धांतिक मंजूरी डीपीआईआईटी या एमएचए या रक्षा उत्पादन विभाग (डीओडीपी), रक्षा मंत्रालय से इन उत्पादों के लिए डीओडीपी से अलग से मंजूरी की आवश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण के अधीन है। यह आगे जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा संबंधित औद्योगिक लाइसेंस में दिए गए सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा, जिसमें कार्यसूची के पैरा 7 में उल्लिखित इन लाइसेंसों की शर्तों का सख्त अनुपालन शामिल है। अनुमोदन समिति ने डीपीआईआईटी या एमएचए या डीओडीपी से उत्तर प्राप्त होने और इन प्रस्तावित अतिरिक्त विनिर्माण वस्तुओं के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं/भौतिक सामग्रियों के संशोधित अनुमानों/आवश्यकता के संबंध में इकाई के उत्तर प्रस्तुत करने के बाद डीसी, एनएसईजेड के अनुमोदन से औपचारिक अनुमोदन जारी करने का निर्देश दिया।

4.4 इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने डीसी, एनएसईजेड को नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अर्जित करने वाली इकाई के खिलाफ एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत एससीएन जारी करने और प्रासंगिक एसईजेड प्रावधानों के अनुसार उचित समय पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(5) सीक्वेल अलॉयज एंड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड- डीटीए में बिक्री के लिए अनुमोदित उप-उत्पाद के नामकरण में संशोधन के लिए अनुरोध।

5.1. इकाई के निदेशक श्री असित कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उनकी खाता बही को अंतिम रूप दे दिया गया है और वे शीघ्र ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 03.01.2025 के अनुमति पत्र में संशोधन के लिए इकाई के अनुरोध को मंजूरी दे दी, जिसमें उप-उत्पाद (डीटीए में बिक्री के लिए अनुमत) के नामकरण को “कॉपर सल्फेट क्रिस्टल/पाउडर (28332500)” से बदलकर ‘कॉपर सल्फेट (28332500)’ कर दिया गया।

(6) एसी इम्पेक्स - एलओए का नवीकरण, अधिकृत परिचालन में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 इकाई के प्रबंधक श्री मनीष सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया।

सुरेंद्र मलिक

6.2. अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 31/03/2024 तक इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय और निर्धारित मूल्य संवर्धन की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं है।

6.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एसी इम्पेक्स के एलओए की वैधता को पांच साल के तीसरे ब्लॉक के लिए यानी 10/02/2030 तक निम्नलिखित अधिकृत परिचालनों के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया: -

विनिर्माण:

- i. हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण (71131911) (5000 किलोग्राम/वर्ष);
- ii. कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर से जड़े सोने के आभूषण (71131915) (100 किलोग्राम/वर्ष);
- iii. हीरे से जड़े सोने के आभूषण (71131913) 50 किलोग्राम/वर्ष);
- iv. मोती के साथ सोने के आभूषण (71131912) (50 किलोग्राम/वर्ष);
- v. हस्तनिर्मित सादे चांदी के आभूषण (71131141) (50 किलोग्राम/वर्ष);
- vi. हीरे से जड़े चांदी के आभूषण (71131143) (50 किलोग्राम/वर्ष);
- vii. प्लेटिनम आभूषण (बिना जड़े) (71131921) (50 किलोग्राम/वर्ष);

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

उ. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त